अधिसूचना

नई दिल्ली. 15 नवम्बर. 2017

सं. 62/2017- केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1418(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 सपिठत धारा 39 की उपधारा(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 43/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.िन. 1257(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 65 सपिठत उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा(4) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-6 में किसी निवेश सेवा वितरक द्वारा माह जुलाई, 2017 के विवरणी भरे जाने के लिए समय-सीमा को बढाकर 31 दिसम्बर, 2017 कर दिया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (6) के अधीन विवरणी भरे जाने के लिए बढे हुए समय-सीमा को अगस्त, 2017 सितम्बर, 2017 और अक्तूबर, 2017 के लिए राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचना किया जायेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 62/2017 - Central Tax

G.S.R.1418 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 39 read with Section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 43/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1257 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of Section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of July, 2017 till the 31st day of December, 2017.

2. The extension of the time limit for furnishing the return under sub-section (4) of Section 39 of the said Act for the month of August, 2017, September, 2017 and October, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)] RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली,15 नवम्बर, 2017

सं.63/2017- केन्द्रीय कर

सा.का.िन.1419(अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम के 45 उपनियम (3) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 53/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 28 अक्तूबर, 2017 जो भारत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.िन. 1346(अ) तारीख 28 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "30 नवम्बर, 2017" के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2017" के शब्दों, अंकों, और अक्षरों को रखा जायेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी-(पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव